Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

भारत में महिलाओं के विकास में वैधानिक प्रावधानों की समीक्षा

डॉ0 सीमा पंवार

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ

सारांश

पुरूष प्रधान समाज होते हुए भी प्राचीन समय में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति सम्मानजनक एवं पूजनीय थी। मध्यकाल तक आते–आते विदेशी आक्रान्ताओं के भय ने भारतीय महिलाओं को घरों की चारदीवारी के अंदर रहने को बाध्य कर दिया था। उस काल से निरन्तर महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई और महिला को समाज में केवल एक उपयोग की वस्तु के रूप में देखा जाने लगा किन्तु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने आधुनिक समाज की बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद भी आंदोलनकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करके अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जहाँ एक ओर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को रखा गया, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिलाओं के विकास के लिए एवं उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के निर्माण के साथ–साथ अनेकों योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन भी किया गया। इस सबके बावजूद भी स्वतंत्रता प्राप्ति छः दशक बाद भी महिलाएँ स्वयं को सशक्त अनुभव करती है अथवा नहीं यह अध्ययन का विषय है। प्रस्तुत शोधपत्र में महिलाओं के विकास सम्बन्धी प्रावधानों की समीक्षा करने हुए उनके विकास में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु सुझाव वर्जित किए गए है।

मुख्य शब्दः– महिला विकास, महिलाओं सम्बन्धी अधिनियिम, महिला सशक्तिकरण

भूमिका

आदिकाल से ही भारतीय समाज का परिवेश पुरूष प्रधान समाज का परिवेश रहा है। यद्यपि प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरूषों के समान ही स्तर प्राप्त था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, परिपक्व आयु में अपना विवाह करने तथा अपने लिए स्वयं अपना वर चुनने जैसे अधिकार प्रदान किये गए थे; किन्तु यह भी सत्य है कि समाज में पुरूषों की वर्चस्वता के कारण स्त्रियों विशेषकर मध्यम एवं निम्न वर्ग, ने सदैव ही गौण स्थिति में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया था। मुस्लिम काल तक आते–आते तो आक्रान्ताओं के भय से उन्हे न केवल शिक्षा–दीक्षा से दूर रखा गया बल्कि उन्हे बाल विवाह, विधवा परम्परा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के गर्त में भी ढकेल दिया गया। उस समय तो इन कुप्रथाओं का भारतीय महिलाएं विरोध नहीं कर सकी, किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन में बराबरी की भागीदारी करके उन्होने महिला वर्ग को यश एवं कीर्ति को स्वयं ही पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।

महिलाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव की दृष्टि से भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का काल महिलाओं के सम्मान का काल रहा, लेकिन इस काल की साझेदारी को भी स्वतन्त्र भारत में अधिक महत्व नहीं दिया गया। श्रीमति विजय लक्ष्मी पंडित को जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा का अध्यक्ष चुना गया तब यह प्रतीत हुआ कि भारतीय महिला समाज में पर्याप्त क्षमताएं हैं। उसके पश्चात तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायधीश जैसे महत्वपूर्ण पदों के दायित्वों का निर्वहन करते हुए महिलाओं ने इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया कि भारतीय महिला समाज में विद्वता, चेतना एवं साहस के सूत्र बिखरे पड़े हैं। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष कोई क्षेत्र आज ऐसा नहीं हैं जहां भारतीय महिलाओं ने अपनी योग्यता का परिचय न दिया हो।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं को समाज में सम्मानजनक रूप से अपना जीवन व्यतीत करने, समाज में अपना अस्तित्व एवं अपनी अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में उपलब्ध विभिन्न अधिकारों के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा अन्य कई प्रावधान भी विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से निर्मित किए गए हैं। न केवल संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं बल्कि केन्द्र एवं राज्यों को महिलाओं के विकास हेतु विधि एवं योजनाओं का निर्माण करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं

नेतृत्व की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण को संवैधानिक रूप प्राप्त किया गया है।

महिलाओं के विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान

यूँ तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने की नींव संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए सभी को मूल अधिकार प्रदान करके कर दी गई थी, किन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व ही भारतीय सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को पारित करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि महिलाएं भी समान कार्यो के लिए पुरूषों के समान ही न्यूनतम मजदूरी पाने की अधिकारी होगी तथा काम के दौरान उनकी सुरक्षा एवं कल्याण का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951 एवं खान अधिनियम, 1952 के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कामगार महिलाओं की कार्यदशाओं के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के कैरिअर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कामकाजी महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ एवं उनके बच्चों को बेहतर देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 तथा विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षा का अहसास दिलाने के उद्देश्य से गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 का निर्माण किया गया है। महिलाओं के लिए बढते रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के माध्यम से पुरूष और महिला कामगारो को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का भुगतान करने तथा रोजगार एवं उससे जुड़े मामलों अथवा आनुषंगिक मामलो में महिलाओं के विरूद्ध लिंग आधारित किसी भी भेदभाव को रोकने का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भी भारत सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से स्त्रियों को विवाह पूर्व एवं विवाहेत्तर सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु बहुत से प्रावधान निर्मित किए गए हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक तथा भरणपोषण अधिनियम 1956, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, विदेशी विवाह अधिनियम 1969, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 आदि अधिनियमों ने निश्चित रूप से महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक संरक्षण प्रदान किया है। इतना ही नहीं गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के माध्यम

से कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा भ्रूण परीक्षण के लिए सहयोग देना, गर्भवती महिला की इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती गर्भपात करवाने को अपराध घोषित किया गया है। साथ ही वर्षों से चली आ रही मुस्लिम समाज की तीन तलाक एवं हलाला जैसी अनैतिक एवं अनुचित परम्परा से महिलाओं को मुक्त कराने हेतु द मुस्लिम वीमेन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट के माध्यम से कानून निर्माण का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त संविधान निर्माताओं एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को दिया गया संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण मात्र महिला कल्याण की भावना से प्रेरित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना काल (1974–78) के दौरान पहली बार भारत सरकार ने अपनी 'महिला कल्याण' की भावना अथवा उद्देश्य को 'महिला विकास' के उद्देश्य में परिवर्तित किया। इसके पीछे सरकार की मूल भावना यह थी कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं मात्र अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित न रहें बल्कि विकास के पथ पर चलकर स्वयं को सशक्त करे और देश को सशक्त करने में अपना अधिकत्तम योगदान दें।

भारत सरकार द्वारा महिला विकास को गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के एक भाग के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी, जिसे 30 जनवरी 2006 को एक स्वतन्त्र मन्त्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय का मुख्य लक्ष्य महिला एवं बच्चों को हिंसा एवं शोषण मुक्त वातावरण में विकास एवं वृद्धि के सभी अवसर प्रदान करना निर्धारित किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना, उनसे सम्बन्धित सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न कार्यक्रमों की उन्हे जानकारी प्रदान करना, सर्वागीण विकास के लिए उन्हे संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करना, उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना मन्त्रालय का उद्देश्य निश्चित किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति हेतु योजनाएं, नीतियां एवं कार्यक्रम निर्मित करना, अधिनियम बनाना एवं प्रावधानों में संशोधन करना आदि को मन्त्रालय के कार्यों में सम्मिलित किया गया।

सरकार से प्राप्त सुरक्षा, कानूनी संरक्षण, आर्थिक सहायता एवं पर्याप्त अवसर के परिणाम स्वरूप स्वतन्त्र भारत मे महिला समाज ने घर की चारदीवारी के बाहर की दुनिया में कदम रखा तो समाज का कोई क्षेत्र उसके योगदान से अछूता नहीं रहा। उसने न केवल स्वयं को शिक्षित किया बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आज की उदारीकृत परिस्थितियों में महिलाएं भारतीय श्रमशक्ति, नेतृत्व शक्ति एवं प्रबन्ध शक्ति का

महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। वर्तमान में, जबकि पूर्वी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति प्रभावी है, भारत सरकार ने महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीविका के लिए प्रोत्साहित करने एवं रोजगार में मर्यादित आचरण को संरक्षित रखने हेतु भी विधानों का निर्माण किया है। महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यमों से अथवा प्रकाशन सामग्री, लेखन सामग्री, चित्रण सामग्री या अन्य किसी भी प्रकार से महिलाओं के अभद्र एवं अश्लील प्रदर्शन को महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अतिरिक्त सती रोकथाम अधिनियम, 1987 के माध्यम से न केवल देश के किसी भी भाग में सती प्रथा को प्रचलन में रखने तथा सतीप्रथा का महिमामण्डन करने को अपराध घोषित किया गया है, बल्कि किसी को सती होने के लिए बाध्य करने के कार्य को भी अपराध घोषित किया गया है।

महिलाओं की अशिक्षा आज भी महिलाओं के विकास में निश्चित रूप से बाधक का कार्य कर रही है। अपनी इसी अशिक्षा के कारण समाज का बहुसंख्यक महिलावर्ग न तो अपने अधिकारों को जान पाता है और न ही उनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु बनाए गए कानूनो व उनके कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं को। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है, जो महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है एवं पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसी तरह के महिला आयोगों की स्थापना राज्य स्तर पर भी की गई है। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों एवं अन्य सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित मामलों का संज्ञान लेना एवं उन पर निगरानी रखना सुनिश्चित किया गया है। इसी मन्त्रालय के अधीन पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में जागरूक करने के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य कदम भी उठाए गए हैं। महिला कामगारों के लिए कार्यस्थल पर काम का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक अलग सैल की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख कार्य कामकाजी महिलाओं की स्थितियों पर ध्यान केन्द्रित करना एवं उनमें सुधार की सम्भावनाएं तलाश करना है।

तृष्णा के इस युग में सरकार द्वारा गृहणियों को भी सुरक्षा का अहसास कराने के उद्देश्य से घरेलू प्रताड़ना एवं अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के माध्यम से महिलाओं को शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक अथवा भावनात्मक सभी प्रकार की घरेलू

हिंसाओं से संरक्षण प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि कामगार महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर भी, सार्वजनिक अथवा निजी, संगठित अथवा असंगठित सभी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौण उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 के माध्यम से महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की गई है।

महिला विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाएं

उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त महिला कल्याण के उद्देश्य को महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण तक विस्तारित करने के लिए भारत सरकार समय–समय पर विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम भी संचालित कर रही है। इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास के लिए शिक्षा एवं अन्य अवसरों को समान रूप से उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाकर उद्योगजगत, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में महिलाओं को अर्द्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल कामगारों के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रम मन्त्रालय के अधीन कार्यरत रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण को प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए रोजगार और प्रशिक्षण निर्देशालय के मुख्यालय में ही एक अलग महिला प्रशिक्षण स्कन्ध स्थापित किया गया है जो देश में महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित दीर्घकालिक नीतियों को तैयार करने एवं उनको क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय एवं दस क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित किया गया है, जबकि राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रण में विशिष्ट महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (WITI) का नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये सभी संस्थान महिलाओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। 1986–87 से ही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गए थे, जो आज अपने चरम पर हैं।

भारत में महिलाओं और बाल विकास से सम्बन्धित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण एवं प्रशासन के शीर्ष निकाय के रूप में महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत है। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं समस्याओं के समाधान पर कार्य करना, उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना मंत्रालय के प्राथमिक कार्य है। अपने इन्ही कार्यों को ध्यान में रखते हुए

मन्त्रालय द्वारा महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचलित किए जा रहे हैं। कालक्रमानुसार वर्णन करें तो 1999 में भारत सरकार द्वारा भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कमजोर एवं पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु उल्लेखनीय सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए अथवा अपने हालातों से बाहर आकर कुछ अलग करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसमें पुरस्कार प्राप्तकर्ता को नकद राशि एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाता है। सशक्तिकरण के इसी क्रम में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं अथवा लड़कियों को आवश्यकतानुसार आश्रय, भोजन, कपड़े आदि प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा 2002 में स्वाधारगृह योजना प्रारम्भ की गई जिसका विधवा, आतंकवादी अथवा आतंकवादी हिंसा से पीड़ित या प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित महिलाएं एवं बच्चे, जेल से रिहा महिला कैदी अथवा जेल में जाने वाली महिलाओं के जरूरतमद परिवारिक सदस्य ले सकते हैं। माता एवं शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सन् 2010 में प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से प्रथम शिशु पैदा करने के समय प्रत्येक माता के लिए सुरक्षित प्रसव एवं पोषक आहार का प्रबन्ध किया जाता है।

वर्तमान में भारत सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उनके विरूद्ध हिंसा का उत्तरोत्तर उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की मुख्य धारा में लाने के लिए 2011 से केन्द्र द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन/ मिशन पूर्ण शक्ति जैसे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कामगार महिलाओं को बच्चों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने हेतु सन् 2012 में राजीव गांधी नेशनल क्रैच योजना को प्रारम्भ किया गया। इसके अतिरिक्त 2015 में महिला भेदभाव के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के संयुक्त उपक्रम में प्रारम्भ 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के सामाजिक अभियान ने कन्याओं के महत्व को उजागर किया है। 2015 में ही प्रारम्भ की गई 'वन स्टॉप सेन्टर स्कीम' के माध्यम से निर्भया फंड की मदद से हिंसा की शिकार महिलाओं को शरण देने, पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा एवं परामर्श सेवाएं एवं फ्री हैल्प लाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 2015 में ही आर्थिक समस्याओं के कारण कराई जाने वाली भ्रूण हत्या को रोकने एवं कन्याओं के कल्याण हेतु, विवाह, शिक्षा आदि व्ययों को पूरा करने के लिए सुकन्या वृद्धि योजना का प्रारम्भ किया गया है। इतना ही नहीं महिलाओं में

व्यवसाय करने की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए 2015 में ही सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत महिलाओं को व्यवसाय हेतु किसी भी बैंक से लोन लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। महिलाओं के हुनर अथवा कौशल को निखारने एवं उससे आय अर्जित करने के उद्देश्य से 2016 में सरकार द्वारा महिला ई–हाट की योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु घर पर रहने वाली महिलाओं को बनाया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना को प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत उन्हे निःशुल्क गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 2016 में ही पुलिस सेवाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा महिला पुलिस वालिन्टियर्स की योजना को लागू किया गया।

वर्ष 2017 में सरकार ने महिलाओं के विकास हेतु अपने कार्यक्रमों में और अधिक वृद्धि की । मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उन्हे होने वाली आर्थिक क्षति की आंशिक प्रतिपूर्ति, पायलट प्रोजक्ट योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा, गर्भावस्था में महिलाओं को पौष्टिक आहार, टीकाकरण एवं प्रसव हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की उल्लेखनीय योजनाएं हैं, जिनसे निश्चित रूप से गर्भावस्था अथवा प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। 2017 में ही महिलाओं के लिए वर्किंग वूमैन हास्टलो की व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से कामगार महिलाओं को सुरक्षित आवास एवं उनके बच्चों की सुरक्षा एवं आवास के आस–पास मूलभूत आवश्यताओं की वस्तुओं की उपलब्धता पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा संचलित महिला शक्ति केन्द्र योजना की अम्ब्रेला स्कीम मिशन के तहत उन्हे उनकी क्षमता का अनुभव कराने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। इस मिशन के अन्तर्गत महिलाओं के लिए एक ऐसा परिवेश प्रदान करने का प्रयास किया गया है जिसमें महिलाएं अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना आर्थिक विकास करके स्वयं को सशक्त बना सकें।

वर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं और सरकार के मध्य मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को बीच से हटाने के लिए भी कदम उठाए हैं जिससे कि महिलाएं अपनी बात सीधे सरकार तक पहुँचा सकें। 2018 में सरकार द्वारा गैरसरकारी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों को सीधे सरकार तक अपनी समस्या अथवा विचार पहुँचाने के उद्देश्य से ई–संवाद पोर्टल का प्रारम्भ किया गया। 2018 में ही महिलाओं को सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित किए जाने वाले

कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारी वैब पोर्टल को प्रारम्भ किया गया था। इतना ही नहीं , कार्यस्थल पर प्रताड़ना अथवा शोषण का सामना करने वाली महिलाओं के लिए उपचार स्वरूप सरकार ने 2018 में ही शी बॉक्स पोर्टल को भी स्थापित किया है, जो निश्चित रूप से पीड़ित महिलाओं को शीघ्र उपचार कराने में सहायक है।

इसमें संदेह नहीं कि भारत सरकार महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत है। विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विशेष अवसरों का लाभ लेकर महिलाएं भी द्रुतगति से अपने विकास की और अग्रसर है। किन्तु विचारणीय यह है कि आज भी महिला समाज का बहुसंख्यक वर्ग क्षमताओं से युक्त होते हुए भी साधनों एवं अवसरों के अभाव में राष्ट्रहित में अपनी योग्यताओं का उपयोग करने से वंचित रह जाता है, जो न केवल राष्ट्रहित की दृष्टि से अनुचित है बल्कि महिलाओं के विकास में भी बाधक है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं, अवसरों एवं अधिकारों का उपयोग करते हुए मुख्यतः केवल उच्च एवं शिक्षित महिला समाज ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सका है। कुछ अपवादों को छोड़कर निम्न आय वर्ग अथवा वंचित वर्ग से जुड़ा अधिकांश महिला वर्ग अशिक्षित अथवा अपने अधिकारों के प्रति उदासीन होने के कारण न तो संवैधानिक कानूनों एवं अधिकारों को जान सका है और न ही उन विभिन्न अधिनियमों को, जिन्हे महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य समझ कर निर्मित किया गया है। 'प्रथम ऐजूकेशन फाउन्डेशन' द्वारा जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार आज भी स्कूल न जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत 4.1 है। जबकि 14–16 आयु वर्ग की मात्र 44 प्रतिशत लड़कियां गणितीय भाग के प्रश्नों को सही हल कर पाती हैं। 2018 में 'विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की लेबर फोर्स भागीदारी दर 26.99 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से– शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण के अभाव में आज भी रोजगार के अवसरों का अभाव है, पर्याप्त एवं सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण महिलाएं शहरों में जाकर काम करने से वंचित रह जाती हैं। सुरक्षा कारणों से 15–16 साल की अवस्था के पश्चात् अधिकांश ग्रामीण लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं।

असुरक्षा की भावना, आवागमन के अपर्याप्त एवं असुरक्षित साधन, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, अभावग्रस्त शिक्षण व्यवस्था आदि समस्याएं न केवल ग्रामीण परिवेश बल्कि शहरी परिवेश की लड़कियों को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त लड़का एवं लड़की की सामाजिक मान्यता के भेद को भी भारतीय समाज इक्कीसवी सदी में भी पूर्ण रूप से समाप्त करने में अक्षम रहा

है। महिलाएं आज भी किसी न किसी रूप में घरेलू दायित्वों से अधिक बँधी हुई हैं। अधिकांशतः समाज में महिलाओं की भूमिका सम्बन्धी पुरातन प्रवृत्ति, महिलाओं के उत्थान में पारिवारिक समर्थन एवं सहयोग का अभाव, महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी.. महिलाओं में निर्णय शक्ति की कमी आदि ऐसे कारण हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा प्रस्तुत करते हैं।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा कई कानून, योजनाएं, कार्यक्रम आदि मात्र महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ही निर्मित एवं संचालित किए गये है तथापि कुछ अन्य सुधारों को अपनाकर हम इस दिशा में और अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की पर्याप्त एवं सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराकर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं में शिविरों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों, योजनाओं एंव कानूनो के विषय में जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान करना, महिलाओं को सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने में मदद हेतु विशेष महिला फाउन्डेशन की नियुक्ति करना, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से पुरूष समाज को महिलाओं के सम्बन्ध में अपनी सोच परिवर्तन यह हिन्दुस्तानी जनता का उभरता हुआ राष्ट्रीय स्वरूप था, इस विरोध ने राष्ट्रीय संकल्प का रूप प्राप्त कर लिया जिसके केन्द्र में स्वाधीनता के लिए छटपटाहट थी।

संदर्भ सूची

1. इकोनोमिक सर्वे 2017–18, एम्फेसाइस्ज ऑन वीमैन इकनोमिक सर्वे 2017–18, एम्फेसाइस्ज ऑन वीमैन एम्पावरमैंट, हाइलाइट्स नीड टू डिस्एग्रीगेट डाटा बाइ जैन्डर, फर्स्ट पोस्ट जनवरी, 31, 2018 – दीया भट्टाचार्य (www-firstpost-com inde).
2. मदरहुड पेनल्टी कैन अफेक्ट वूमैन हू नैवर इवन हैव ए चाइल्ड दृ एन. बी. सी. न्यूज नेशनल पोलिसी फॉर वूमैन इम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वूमैन एंड चाइल्ड डेवलपमेन्ट, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (https:// wed.nic.in> national policy)

3- वूमैन इम्पावरमैंट आचिवस्ट – केअर इण्डिया (https://www.careindia.org> category).